

अधिसूचना संख्या 165/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1952(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 676 (ई) दिनांक 11 अगस्त, 1998 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 8 पर, "एसओएस चिल्ड्रेन विलेजेज ऑफ इंडिया-चटनाथ होम्स, 7, राजा कृष्णा रोड, तेनाम्पेट, चेन्नई - 600018" द्वारा "तांबरम ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में एक स्कूल भवन का निर्माण और एसओएस चिल्ड्रेन विलेज का संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या एसओ 568 (ई) दिनांक 20 जून, 2001 द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। 2002-2003, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 793(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2004 के तहत वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 246(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 1258(ई) दिनांक 18 मई, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 2886(ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ 246(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 द्वारा अनुमानित लागत 60.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 105.00 लाख रुपये कर दी गई थी, अधिसूचना संख्या एसओ 1258(ई) दिनांक 18 मई, 2009 द्वारा अनुमानित लागत 105.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 150 लाख रुपये कर दी गई थी और अधिसूचना संख्या एसओ 2886(ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2012 द्वारा अनुमानित लागत 150.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 175.00 लाख रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम अठारह वर्ष से अधिक अवधि तक विस्तारित होने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत 175.00 लाख रुपये से बढ़कर 225.00 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित ढंग से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने तथा परियोजना लागत को 175.00 लाख रुपए से संशोधित कर 225.00 लाख रुपए करने की एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,- (क) एतद्वारा "तांबरम ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में एक स्कूल भवन का निर्माण और एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज का संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया-चटनाथ होम्स, 7, राजा कृष्णा रोड, तेनाम्पेट, चेन्नई-600018" द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है, अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 और;

(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एसओ 676(ई) दिनांक 11 अगस्त, 1998 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत लागत की अधिकतम राशि से संबंधित, क्रम संख्या 8 के समक्ष तालिका में, कॉलम (4) में, "175.00 लाख रुपए" अक्षरों, आँकड़ों और शब्द के स्थान पर "225.00 लाख रुपए" अक्षर, आँकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।